वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 30.12.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश, परफेक्ट मिशन,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 30.12.2025

5 गांवों की जमीन खरीद पर लगे रोक

चिरईगांव। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत नवीन टाउनशिप परियोजना विकसित की जाएगी। इसके लिए वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने स्टांप एवं निबंधन विभाग के उप निबंधक को पत्र भेजा है। उन्होंने परगना जाल्हुपुर के पांच ग्राम पंचायत, मढ़नी, गौराकला, शंकरपुर, नेवादा एवं बभनपुरा, में भूमि एवं भवन के क्रय-विक्रय तथा भवन निर्माण से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने का आग्रह किया है। राजातालाब, सदर तहसील में बढ़ रही अवैध प्लॉटिंग को लेकर सोमवार को वीडीए सभागार में बैठक हुई। अध्यक्षता कर रहे वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने दोनों तहसीलों के लेखपाल को वीडीए अधिनियम, प्रचलित नियमों के तहत अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने के संबंध में जानकारी दी गई। ब्यूरो

हिन्दुस्तान–दि0 30.12.2025

वीडीए ने अधिसूचित किए आठ गांव, गंजारी टाउनशिप और पार्किंग के लिए जमीन लेंगे

दो आवासीय परियोजना के लिए 13 गांवों में जमीन खरीद पर रोक

कवायद

वाराणसी, विशेष संवाददाता। विकास प्राधिकरण गंजारी और मढ़नी क्षेत्र में दो नई आवासीय परियोजनाएं लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत जनपद के 13 गांवों को अधिसूचित करते हुए वहां भूमि और भवन के क्रय-विक्रय, एग्रीमेंट तथा अन्य निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। प्राधिकरण ने संबंधित गांवों की सूची उपनिबंधक कार्यालयों को भी उपलब्ध करा दी है।

वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा द्वारा जारी पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत रिंग रोड फेज-2 के किनारे मढ़नी और गंजारी क्षेत्र में नई अर्बन टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। परियोजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन और भूमि से जुड़ी किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। मढ़नी आवासीय परियोजना के तहत जाल्हूपुर परगना के मढ़नी, शंकरपुर, नेवादा, बभनपुरा और गौराकला गांवों में भूमि अधिग्रहण की तैयारी की जा रही है। इन गांवों में टाउनशिप परियोजना के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसके चलते फिलहाल जमीन और भवन के क्रय-विक्रय व निर्माण गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई गई है। वहीं गंजारी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के समीप नई अर्बन टाउनशिप (स्पोर्ट्स सिटी) और मल्टीलेवल पार्किंग विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। टाउनशिप और बहुमंजिला पार्किंग से जुड़ा यह प्रस्ताव विकास प्राधिकरण बोर्ड की 133वीं बैठक में पहले ही पास हो चुका है। इस परियोजना के लिए गंजारी के साथ हरसोस, जमीन शिवसागर, हरपुर, हरदासपुर, सूईचक, बीरभानपुर और भईदपुर गांवों में भूमि चिह्नित की गई है। इन सभी गांवों में भूमि की खरीद-बिक्री और अनुबंध पर रोक लगाने की सूचना मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को भी भेज दी गई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये बिना इन गांवों की भूमि की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी।

03 सौ एकड़ मढ़नी में प्रस्तावित है नई अर्बन टाउनशिप

01 सौ 33वीं बैठक में वीडीए बोर्ड पहले ही पास कर चुका है प्रस्ताव

- विकास प्राधिकरण ने कमिश्नर-डीएम को सूची उपलब्ध कराई
- स्पोर्ट्स सिटी और मल्टीलेवल पार्किंग बनाने का है प्रस्ताव

'अवैध प्लाटिंग को सख्ती से रोकें'

वाराणसी। वीडीए की सोमवार को हुई बैठक में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने राजातालाब और सदर तहसील में बढ़ रही अवैध प्लाटिंग पर चिंता जताई। अध्यक्षता करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध प्लाटिंग, भूमि विभाजन अथवा बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण तत्काल रोका जाए तथा इसकी सूचना समय से प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए। तहसील स्तर पर राजस्व विभाग एवं प्राधिकरण के बीच समन्वय बनाकर संयुक्त रूप से निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, जिससे अवैध प्लाटिंग की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। डॉ. मिश्रा ने कहा कि कहा कि अवैध प्लाटिंग से न केवल नियोजित शहरी विकास बाधित होता है, बल्कि भविष्य में आम नागरिकों को सड़क, जल, विद्युत एवं सीवर व्यवस्था के अभाव जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 30.12.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव ने किया बैठक

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव महोदय डॉ0 वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा की गई। यह बैठक राजातालाब एवं सदर तहसील क्षेत्र में बढ़ रही अवैध प्लाटिंग की शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित की गई।बैठक में राजातालाब एवं सदर तहसील के समस्त लेखपालों एवं तहसील कर्मचारियों को बुलाया गया, जिन्हें वाराणसी विकास प्राधिकरण अधिनियम तथा प्रचलित नियमों के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सचिव महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की अवैध प्लाटिंग, भूमि विभाजन अथवा बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाए तथा इसकी सूचना समय से प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए।सचिव महोदय ने कहा कि अवैध प्लाटिंग से न केवल नियोजित शहरी

विकास बाधित होता है, बल्कि भविष्य में आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, जल, विद्युत एवं सीवर व्यवस्था के अभाव जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखें।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तहसील स्तर पर राजस्व विभाग एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण के बीच समन्वय बनाकर संयुक्त रूप से निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, जिससे अवैध प्लाटिंग की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

न्यायाधीश–दि0 30.12.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया

वाराणसी।वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव महोदय डॉ0 वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा की गई। यह बैठक राजातालाब एवं सदर तहसील क्षेत्र में बढ़ रही अवैध प्लाटिंग की शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित की गई।बैठक में राजातालाब एवं सदर तहसील के समस्त लेखपालों एवं तहसील कर्मचारियों को बुलाया गया, जिन्हें वाराणसी विकास प्राधिकरण अधिनियम तथा प्रचलित नियमों के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सचिव महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की अवैध प्लाटिंग, भूमि विभाजन अथवा बिना स्वीकृत

मानचित्र के निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाए तथा इसकी सूचना समय से प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए।सचिव महोदय ने कहा कि अवैध प्लाटिंग से न केवल नियोजित शहरी विकास बाधित होता है, बल्कि भविष्य में आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, जल, विद्युत एवं सीवर व्यवस्था के अभाव जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखें।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तहसील स्तर पर राजस्व विभाग एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण के बीच समन्वय बनाकर संयुक्त रूप से निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, जिससे अवैध प्लाटिंग की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर , उपजिला अधिकारी शांतनु व नगर नियोजक श्री प्रभात कुमार सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में अवैध प्लाटिंग पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

परफेक्ट मिशन–दि0 30.12.2025

अवैध प्लॉटिंग पर प्रभावी कार्यवाही के लिए वीडीए सचिव ने की बैठक

तहसील स्तर पर राजस्व विभाग एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण के बीच समन्वय बनाकर संयुक्त रूप से निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव डॉ0 वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा की गई।

यह बैठक राजातालाब एवं सदर तहसील क्षेत्र में बढ़ रही अवैध प्लाटिंग की शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित की गई। बैठक में राजातालाब एवं सदर तहसील के समस्त लेखपालों एवं तहसील कर्मचारियों को बुलाया गया, जिन्हें वाराणसी विकास प्राधिकरण अधिनियम तथा प्रचलित नियमों के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि

किसी भी प्रकार की अवैध प्लाटिंग, भूमि विभाजन अथवा बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाए तथा इसकी सूचना समय से प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए।सचिव ने कहा कि अवैध प्लाटिंग से न केवल नियोजित शहरी विकास बाधित होता है, बल्कि भविष्य में आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, जल, विद्युत एवं सीवर व्यवस्था के अभाव जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखें।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तहसील स्तर पर राजस्व विभाग एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण के बीच समन्वय बनाकर संयुक्त रूप से निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, जिससे अवैध प्लाटिंग की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर, उपजिलाअधिकारी शांतनु व नगर नियोजक प्रभात कुमार सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में अवैध प्लाटिंग पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।